भारतीय गैर न्यायिक

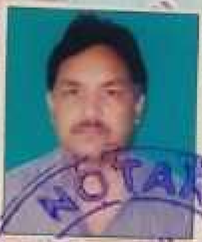

रुपये Rs

100

भारत

INDIA NO

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 158962

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नोटरी शपथ पत्र

हम ओंकार गुप्ता एवं अनिल कुमार पोरवाल क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबंधक -स्व० रामप्रकाश विद्यावती शिक्षा समिति , राजपुर , कानपुर देहात शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं -

1. यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा **श्री आर० पी० पोरवाल इंस्टिट्यूट, शाहजहाँपुर , कानपुर देहात** नामक **डिप्लोमा इन फार्मेसी** संस्थान की स्थापना सत्र **2023-24** में किया जाना प्रस्तावित है ।
2. यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम **शाहजहाँपुर, कानपुर देहात** मे गाटा संख्या **723** के रकवा **1.331** में **1.024 हेक्टेयर** भूमि है ।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है , और भूमि **विवाद रहित** है ।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 723 के रकवा **1.331** में **1.024 हेक्टेयर** पर उपरोक्त नाम कि **डिप्लोमा इन फार्मेसी** संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनाँक **28/06/2022** द्वारा पारित किया गया है ।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है ।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस भूमि पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा ।
8. यह कि, इस संस्था मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य सस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है , और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा ।
10. यह कि, सस्था के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम , प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया , नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा ।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ कि तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ से पूर्व कर लिया जाएगा ।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा । यह मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद के निरीक्षण एवं संबद्धता समिति के द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा । इस मेरे द्वारा पर कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है । यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी , कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी की गई विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव/प्रबंधक- ह० अध्यक्ष-

NOTARY
Amar Singh
Advocate
GOVT OF INDIA

...presented before me and explained to contents identified by Shri

Amar Singh Advocate 01/09/2023
Govt. Notary
Government of